BCCI BULLETIN

Vol. 55 | September 2024 | No. 09

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर की 97वीं वार्षिक आम सभा सम्पन्न

श्री सुभाष कुमार पटवारी चैम्बर के पुनः निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित

आम सभा की अध्यक्षता करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। उनकी बाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार तथा कार्यकारी सचिव श्री सुरेश राम। दाँयीं ओर महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की 97वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 28 सितम्बर 2024 को चैम्बर के साहु जैन हॉल में संपन्न हुई। आम सभा की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने की एवं सत्र 2023-24 का लेखा-जोखा तथा चैम्बर की गतिविधियों से सदस्यों को अवगत कराया जिसका आम सभा ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

आम सभा ने विधिवत् सत्र 2024-25 के लिए श्री सुभाष कुमार पटवारी को सर्वसम्मति से पुनः निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया जबकि श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप कुमार उपाध्यक्ष, श्री सुबोध कुमार जैन, कोषाध्यक्ष एवं श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, महामंत्री पुनः निर्विरोध निर्वाचित हुए।

वार्षिक आमसभा ने निम्नलिखित सदस्यों को चैम्बर का सत्र 2024-25 के लिए कार्यकारिणी समिति का सदस्य निर्वाचित किया– श्री अमर कुमार अग्रवाल, श्री अनिल कुमार माहेश्वरी, श्री आशीष प्रसाद, मो. बहजाद करीम, श्री गोपाल कृष्ण, श्री मुकेश कुमार, श्री नवीन कुमार गुप्ता, श्री पवन कुमार भगत, श्री प्रदीप जैन, श्री राकेश कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार अग्रवाल, श्री संजय कुमार बैद, श्री संतोष कुमार अग्रवाल, श्री शशि गोयल, श्री सुनिल माखरिया, श्री अभिषेक जैन, श्री दिनेश प्रताप टिबड़ेवाल एवं श्री बिनोद कुमार।

चैम्बर की वार्षिक आम सभा ने निम्नलिखित विषयों पर प्रस्ताव भी पारित किये यथा– उद्योग, उर्जा, जीएसटी, बैंकिंग, नगर विकास, श्रम, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आई टी, सूचना का अधिकार, पर्यटन एवं संचार आदि। आम सभा द्वारा पारित इन प्रस्तावों को राज्य सरकार एवं भारत सरकार के संबंधित विभागों को आवश्यक निर्णय लेने हेतु समर्पित किया जाएगा।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने उन्हें एक बार पुनः अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए चैम्बर के सभी सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनकी पूरी टीम का यह प्रयास होगा कि राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर कराया जा सके, साथ ही राज्य के अधिकाधिक उद्यमियों, व्यवसायियों एवं व्यावसायिक संगठनों को चैम्बर से जोड़ा जाए जिससे कि चैम्बर और सुदृढ़ बन सके। गत वर्ष में जो कार्य अधूरे रह गए हैं उसे पूर्ण करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा परन्तु इस कार्य में गत वर्ष की तरह ही आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा रहेगी।

सभागार में उपस्थित चैम्बर के सम्मानित सदस्यगण।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

आपने चैम्बर जैसी प्रतिष्ठित संस्था के अध्यक्ष पद का गुरूतर भार पुनः मुझे सौंप कर मुझमें जो विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका विश्वास कायम रहे। मेरे पूरे टीम का प्रयास होगा कि राज्य के उद्यमियों एवं व्यापारियों की व्यावसायिक समस्याओं का समाधान हो सके। गत् वर्ष में चैम्बर के जो काम अधूरे रह गये हैं, उन्हें पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा इसके लिए आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा रहेगी। चैम्बर और सुदृढ़ एवं सक्षम बने, इसके लिए राज्य के व्यवसायियों एवं व्यावसायिक संगठनों को चैम्बर से जोड़ा जायेगा।

श्रम संसाधन विभाग ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी छोटे–बड़े कारखानों का नये सिरे से सर्वे होगा ताकि राज्य में कितने नये कारखाने चल रहे हैं, इसका वास्तविक आंकड़ा विभाग के पास मौजूद रहे। श्रम संसाधन विभाग का मानना है कि राज्य में कई ऐसे छोटे कारखानों में कामगार काम करते हैं, जहाँ मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है और ऐसे ही कारखानों में दुर्घटनाएँ होती हैं। विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगले माह से अपने–अपने क्षेत्रों के सभी छोटे–बड़े कारखानों की रिपोर्ट तैयार करें और मानकों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करते हुए उसे बन्द कराने की कार्रवाई करें।

चैम्बर की तरफ से आग्रह होगा कि कारखानों का निरीक्षण करते वक्त सीधे कार्रवाई ना करके, कारखानों को उचित समय भी दिया जाना चाहिए क्योंकि कभी–कभी जानकारी के अभाव में भी त्रुटियाँ हो सकती है। त्रुटियों को सुधारने का समुचित अवसर अवश्य मिलना चाहिए।

जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री समुह (GOM) की दिनांक 25 सितम्बर, 2024 को बैठक हुई। बैठक में करीब 100 वस्तुओं पर से जीएसटी घटाने के मुद्दे पर विमर्श हुआ। बैठक में आम आदमी को राहत देने के लिए साईकिल और बोतल बन्द पानी सहित कुछ अन्य वस्तुओं की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत पर करने की भी चर्चा हुई। 20 अक्टूबर, 2024 को गठित मंत्री समुह की होने वाली बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श होगा। **चैम्बर की ओर से भी कई वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाने की मांग की जाती रही है।**

बिहार में 303 नई औद्योगिक इकाईयाँ शुरू होने जा रही हैं। इससे लगभग 70,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। निवेशक बिहार में 3871 करोड़ रूपये का निवेश कर रहे हैं। इसमें अधिकांश Unit खाद्य प्रसंस्करण की है। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) ने इन इकाईयों की स्थापना हेतु Financial Clearance दे दिया है। इनके साथ ही 383 अन्य औद्योगिक इकाइयों को भी First Clearance मिला है। हालांकि इनके वित्तीय क्लियरेंस में 6 महीने का समय लग सकता है।

बिहार में निर्मित सामग्रियाँ देश के कई राज्यों में जायेगी। साथ ही नेपाल, भूटान, बांग्ला देश और म्यांमार को भी निर्यात किया जायेगा। इसके लिए 12 औद्योगिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, राज्य के कई जिलों में मार्केट्स बनाये जा रहे हैं। **इससे न केवल निर्यात संवर्धन चेन मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय उत्पादों की पहचान भी बढ़ेगी।**

बिहार ने पीक आवर में 8 हजार मेगावाट से अधिक बिजली की मांग एवं आपूर्त्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है। 23 सितम्बर, 2024 की रात 09.53 बजे बिहार में बिजली आपूर्त्ति की अधिकतम मांग 8005 मेगावाट दर्ज की गई। इसके 12 दिन पूर्व ही सर्वाधिक मांग 7932 मेगावाट बिजली आपूर्त्ति का सर्वकालिक रिकार्ड टूट गया है। राज्य की दोनों बिजली आपूर्त्ति कम्पनियों साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी की ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्युशन की क्षमता में लगातार बढ़ोत्तरी से बिजली की डिमांड को पूरा किया जा सका है।

बिहार के मढ़ौरा में बनने वाले रेल इंजन से अफ्रीका के विभिन्न देशों की ट्रेने दौड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत् अफ्रीकी देशों में इंजनों की आपूर्त्ति की जायेगी। मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना 2025 से अफ्रीका को इबोल्यूशन सीरीज को लोकोमोटिव का निर्यात शुरू करेगा। **मढ़ौरा संयत्र 2018 में स्थापित हुआ था। मढ़ौरा संयंत्र की पहचान विश्वस्तर पर बनी है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।**

केन्द्र सरकार आयकर विभाग से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत एक अक्टूबर, 2024 से प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 2.0 को शुरू किया जायेगा। इसके माध्यम से आयकर से जुड़े लंबित मामलों को सुलझाया जायेगा। बजट में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी। विवाद से विश्वास 2.0 योजना के जरिये विवाद निपटाए जायेंगे। मौजूदा समय में 35 लाख करोड़ रूपये से अधिक की प्रत्यक्ष कर मांग को लेकर अलग –अलग स्तर पर मामले लंबित हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में करदाता चाहते हैं कि न्यूनतम जुर्माने या अन्य किसी प्रावधान के साथ उनके मामले को समाप्त किया जाये।

बाढ़ की विभिषिका से उत्तर बिहार के लोग काफी त्रस्त हैं। नेपाल की नदियों से आये जल प्रलय से कई लोग बेघर हो गये हैं। जहाँ–तहाँ लोग शरण लेकर जीवन की रक्षा कर रहें हैं। और यह बाढ़ की त्रासदी हर साल की बात है।

इस समस्या के निदान हेतु नदी जोड़ने की योजना काफी प्रभावी होगी। नदियों को गहरा करके और नदियों को आपस में जोड़ देने से बाढ़ का खतरा नहीं रहेगा। चैम्बर ने बजट पूर्व ज्ञापन में इसका सुझाव दिया था। माननीया केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में बिहार को बाढ़ से नियंत्रण हेतु नदी जोड़ने की योजना की स्वीकृति दी है। केन्द्र सरकार को इस योजना को शीघ्र अमल में लाना होगा तभी बिहार बाढ़ की त्रासदी से मुक्त हो सकेगा।

नवरात्रा, दिवाली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।

सादर!

आपका

सुभाष पटवारी

चैम्बर के निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारीगण

ई. सुभाष कुमार पटवारी
अध्यक्ष

श्री आशीष शंकर
उपाध्यक्ष

श्री प्रदीप कुमार
उपाध्यक्ष

श्री सुबोध कुमार जैन
कोषाध्यक्ष

श्री पशुपति नाथ पाण्डेय
महामंत्री

चैम्बर में माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री के साथ बैठक सह-प्रमाण-पत्र वितरण समारोह आयोजित

कार्यक्रम में स्वागत सबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उनकी दाईं ओर क्रमशः माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री, बिहार श्री नितिन नवीन, माननीया महापौर श्रीमती सीता साहु, माननीया उप-महापौर श्रीमती रेशमी कुमारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम श्री अनिमेष पराशर, भा. प्र. से., महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन। उनकी बायीं ओर क्रमशः पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया।

माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री, बिहार श्री नितिन नवीन का पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। साथ में हैं माननीया महापौर श्रीमती सीता साहु, माननीया उप-महापौर श्रीमती रेशमी कुमारी, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों के साथ दिनांक 16 सितम्बर 2024 को चैम्बर प्रांगण में श्री नितिन नवीन, माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री, बिहार के साथ बैठक हुई तथा माननीय मंत्री ने चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से सिलाई-कटाई, ब्यूटिशियन, कम्प्यूटर एवं मेंहदी के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किये। बैठक में श्रीमती सीता साहु माननीया महापौर, श्रीमती रेशमी कुमारी, माननीया उप महापौर एवं नगर आयुक्त श्री अनिमेश कुमार परासर, भा.प्र.से. भी सम्मिलित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने सम्मानित अतिथियों एवं सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि गैर-आवासीय सम्पत्ति कर के वार्षिक किराया में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गयी है जिसके कारण राज्य भर के उद्यमी एवं व्यवसायी परेशान हैं। इस पर पुनर्विचार करते हुए इसे व्यवहारिक बनाया जाए। शहरों के बीच जो सड़क का निर्माण या उसकी मरम्मती होती है, हर बार उसकी उँचाई बढ़ा दी जाती है, फलस्वरूप जो पुराने मकान या दुकान बने हैं वह नीचा होते जा रहे हैं, जिससे जल-जमाव की गंभीर समस्या बन गई है। इसलिए जिस किसी भी सड़क का निर्माण या उसकी मरम्मती होती है तो उसे पूरी तरह से तोड़कर, उसकी जो पहले की उँचाई थी, उसी के आधार पर बनाया जाना चाहिए। पटना के आस-पास 1000 से 1500 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर एनसीआर के भांति न्यू टाउनशिप ग्रीन सिटी बनाया जाना चाहिए एवं शहरों में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसके नियंत्रण की ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि गैर आवासीय सम्पत्ति कर पर पुनर्विचार किया जाये। उन्होंने पटना नगर निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों कि सराहना करते हुए कहा कि आगे और भी बेहतर करने का प्रयास होगा।

इस अवसर पर चैम्बर के नगर विकास उप समिति के संयोजक श्री एन. के. ठाकुर ने नगर विकास विभाग से संबंधित एक विस्तृत ज्ञापन समर्पित किया जिसमें- ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने, जलजमाव की समस्या को दूर करने, जलापूर्ति की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने, पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने, यातायात जाम की समस्या से निजात दिलाने, ट्रान्सपोर्ट नगर में सड़कों की दयनीय स्थिति अविलम्ब दुरूस्त कराने, पटना के राजेन्द्र नगर, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, कंकड़बाग एवं आशियाना नगर में सड़कों को दुरूस्त कराने, बिल्डरों एवं आर्किटेक्ट को पैनल में शामिल होने के लिए पंजीकरण एक ऑन गोइंग

प्रभात खबर 'बैंकिंग कोलेकियम' में बिहार के विकास में बैंकों की भूमिका पर परिचर्चा

बिहार के विकास के लिए बैंक आगे आएँ

"ऐसे प्रोग्राम का आयोजन होना चाहिए। मैं इसका सम्मान करता हूँ। इससे बैंक व उद्यमी आपस में आसानी से बातचीत कर सकेंगे। बैंकरों को भी हेजिटेशन नहीं होगा कि उन्हें लोन देना है या नहीं। इस तरह की परिचर्चा होने से बिहार के विकास के लिए बैंक भी आगे आएंगे। बैंक अग्रणी भूमिका निभाता है जिस क्षेत्र में विकास करना होता है। आज गाड़ियाँ भारी संख्या में सड़कों पर दौड़ रही हैं। खरीदारी में बैंक का सहयोग मिलता रहता है। आज बैंक के चलते हर क्षेत्र में लोगों को फायदा मिल रहा है। परिचर्चा के आयोजन के लिए प्रभात खबर को धन्यवाद।

– सुभाष पटवारी, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(साभार : प्रभात खबर, 27.9.2024)

माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री, बिहार श्री नितिन नवीन द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किया गया। (प्रमाण-पत्र के साथ प्रशिक्षणार्थीगण)

कार्यक्रम में पधारे चैम्बर के सम्मानित सदस्यगण, विभिन्न संगठनों से आये उनके प्रतिनिधिगण एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षणार्थिगण।

प्रक्रिया होनी चाहिए। पंजीकरण के लिए 3 साल का अनुभव एवं आयकर रिटर्न जमा करने की शर्त में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि नये बिल्डर एवं आर्किटेक्ट भी पंजीकृत हो सकें। पार्टनरशिप फर्म एवं Individual को भी पंजीकरण हेतु अवसर देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को नामित करने, बिहार अपार्टमेंट ऑनरशीप एक्ट 2006 के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने, मास्टर प्लान नक्शा में आवश्यक संशोधन करने एवं अटल पथ तथा जे. पी. गंगा पथ के कनेक्टिंग सड़कों को बेहतर बनाने तथा कनेक्टिंग सड़कों पर अंडरपास बनाने आदि का उल्लेख किया।

श्री नितिन नवीन, माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि साफ-सफाई कि व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कचरा का पृथकीकरन का कार्य हो जो अकेले नगर निगम से सम्भव नहीं है। इसके लिए जन भागीदारी अत्यावश्यक है। इसके लिए दो हजार लोगों की टीम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो घर-घर जाकर लोगों को गीला और सूखा कचरा को कैसे अलग-अलग करें, यह बतायेंगे क्योंकि मिक्स कचरा, कचरा है और पृथक कचरा सोना है। उन्होंने बताया कि दो माह में प्रोसेसिंग यूनिट चालू हो जायेगा। उन्होंने सदस्यों से पार्किंग एवं अतिक्रमण कि समस्या को दूर करने के लिए अलग से सभी स्टेक होल्डर से बात कर बीच का रास्ता निकालने को कहा। बिल्डर कि समस्या पर उन्होंने अलग से एक बैठक करने का आश्वासन दिया। नया टाउनशिप बनाने पर वार्ता चल रही है। आवश्यकता के अनुसार सरकार जमीन खरीदकर डंपिंग स्टेशन बनाएगी।

इस अवसर पर चैम्बर के कौशल विकास उप समिति के संयोजक श्री मुकेश कुमार जैन ने 10 फरवरी 2014 से प्रारम्भ हुए चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से दस साल में हुए उपलब्धियों की विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि अभी तक सिलाई-कटाई, कम्प्यूटर, मेहँदी, ब्यूटिशियन, टैली एकाउन्टींग कोर्स एवं क्वीलट बैग में कुल 3460 युवक एवं युवतियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने आगे कहा कि आज माननीय मंत्री के कर-कमलों द्वारा सिलाई-कटाई में प्रशिक्षत 133 महिलाओं, ब्यूटिशियन में 65, मेंहदी में 84 एवं कम्प्यूटर में 58 प्रशिक्षण प्राप्त किए युवक एवं युवतियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायगा।

इस कार्यक्रम में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री पी. के. अग्रवाल, श्री मुकेश जैन, श्री एन. के. ठाकुर, श्री विशाल टेकरीवाल, श्री ओ. पी. टिबरेवाल, श्री राजेश जैन, श्री पवन भगत, श्री सावल राम डोलिया, श्री अजय कुमार, श्री बिनोद कुमार, श्री विकास कुमार, भोजपुर चैम्बर के श्री आदित्य विजय जैन, नालान्दा चैम्बर के श्री सुशील कुमार एवं श्री राज कुमार श्री अखिलेश कुमार, श्री ए. के. पी. सिन्हा, श्री पी. के. सिंह, श्री आशीष प्रसाद, श्री अजय गुप्ता, श्री बहजाद करीम, श्री राजा बाबु गुप्ता, श्री शशि गोयल, श्री के. के. अग्रवाल, श्री अशोक कुमार एवं अन्य सम्मानित सदस्यगण सम्मिलित हुए। महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

सेटेलाइट प्रणाली में 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर नहीं लगेगा टोल

• सड़क परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में किया संशोधन • केवल 20 किलोमीटर के बाद वाली यात्रा पर वसूला जाएगा टोल टैक्स

केन्द्र सरकार हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जितनी दूरी, उतना टोल नीति पर एक कदम और आगे बढ़ गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) का इस्तेमाल करने वाले निजी वाहन मालिकों से हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर प्रतिदिन कोई टोल नहीं लिया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन किया है। हालांकि, इस संशोधन से फास्टैग के जरिये टोल टैक्स का भुगतान करने वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 11.9.2024)**

चैम्बर द्वारा टैली प्राइम 5.0 पर कार्यशाला का आयोजन

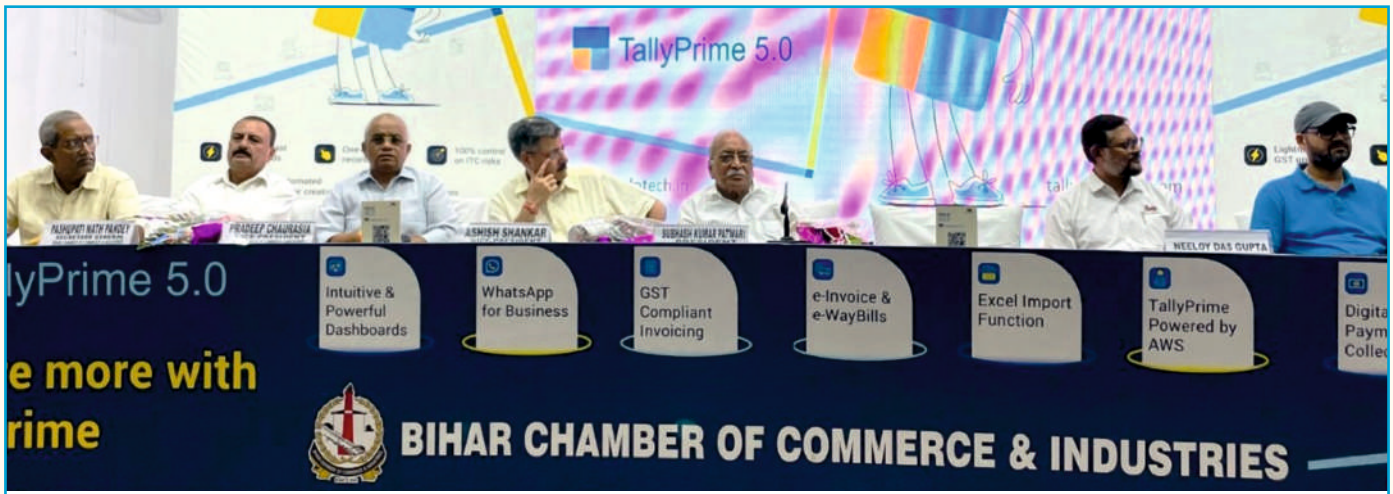

कार्यक्रम में मंचासीन चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। उनकी दायीं ओर क्रमशः चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन। उनकी बाईं ओर क्रमशः टैली सौल्युशन से आये श्री निलोय दास गुप्ता, श्री दीपक तिवारी एवं श्री विद्युत् ज्योति चक्रवर्ती।

दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला का उद्घाटन करते चैम्बर पदाधिकारीगण एवं टैली सौल्युशन से आये प्रतिनिधिगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से टैली सॉल्यूशन कंपनी के सहयोग से टैली प्राइम 5.0 पर एक कार्यशाला का आयोजन दिनांक 19 सितम्बर 2024 चैम्बर प्रांगण में किया गया जिसमें टैली के विशेषज्ञों द्वारा पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गयी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि टैली सॉफ्टवेयर टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है जो एक भारतीय प्रोद्योगिकी कंपनी है। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से एक है और आज भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में करोड़ों लोग अपने व्यवसाय में इसका उपयोग करते हैं। यह कंपनियों को उनके रोजाना के लेन-देन का रिकॉर्ड रखने और व्यवसाय से जुड़े डेटा का विश्लेषण करने में मदद करता है।

आज टैली सॉफ्टवेयर छोटे, मध्यम एवं बड़े उद्यमों का एक अहम हिस्सा बन गया है। यह इआरपी एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो व्यावसायिक समाधान, जीएसटी सॉफ्टवेयर और इन-बिल्ट सुविधाएँ प्रदान करता है। टैली इआरपी 9 सॉफ्टवेर का एक नया संस्करण जारी किया गया है इस सॉफ्टवेर को टैली प्राइम कहा जाता है और यह अधिक उन्नत सुविधाएँ प्रदान करता है। आज की बैठक का उद्देश्य व्यवसाइयों को टैली प्राइम 5.0 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देना है जिससे जीएसटी के विभिन्न रिटर्न, डायरेक्ट बगैर जीएसटी पोर्टल पर गए, सहज रूप में अपना काम कर सकें।

टैली के विशेषज्ञ श्री निलोय दस गुप्ता, श्री दीपक तिवारी, श्री विदयुत ज्योति चक्रवर्ती ने टैली प्राइम 5.0 के बारे में बारे में पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तारपूर्वक बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से वगैर जीएसटी पोर्टल पर गए सीधे आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, टैक्स कंप्लायंस में आसानी होगी, बिजनेस ग्रोथ होगा, फ्लो को अच्छी तरह से नियंत्रित करेगा, व्यवसाय की दक्षता बढ़ेगी, समय की बचत आदि कई लाभ होंगे।

इस अवसर पर शक्ति इन्फोटेक के प्रबंध निदेशक श्री रौशन ढनढारिया, प्रोग्राम मेनेजर श्री कुमार मोनू एवं श्री तवरेज आलम उपस्थित थे।

इस कार्यशाला में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंटकर सम्मानित करते टैली सॉल्युशन के प्रतिनिधि श्री निलोय दास गुप्ता। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

कार्यशाला को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी।

कार्यशाला में सम्मिलित बिहार चैम्बर के सम्मानित सदस्यगण एवं विभिन्न प्रतिष्ठानों से आये उनके प्रतिनिधिगण।

चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री मुकेश जैन, श्री ए. के. पी. सिन्हा, श्री पवन भगत, श्री विकास कुमार, श्री अजय गुप्ता, श्री अशोक कुमार, श्री जे. पी. तोदी, श्री रामचन्द्र प्रसाद एवं अन्य सम्मानित सदस्यगण सम्मिलित हुए।

14.47% की दर से बढ़ रही बिहार की इकोनॉमी

बिहार लगातार उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने वाले राज्यों मे से एक है। राज्य की विकास दर लगातार पिछले कई वर्षों से दो अंकों में रही है। वर्ष 2023-24 में भी बिहार की विकास दर 14.47% रहने का अनुमान है। यानी राज्य की अर्थव्यवस्था 14.47% को दर से बढ़ रही है। यह खुलासा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मौसपी) भारत सरकार की वेबसाइट पर हाल ही में जारी त्वरित अनुमान के अनुसार किया गया है। त्वरित अनुमान के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2023-24 में 14.47% की दर से बढ़कर 8,54,429 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। राज्य की अर्थव्यवस्था में विस्तार की गति 2022-23 में 15.30% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2023-24 में 0.83 प्रतिशत अंक कम रहने का अनुमान है।

स्थिर मूल्य पर 2023-24 में 9.20% विकास दर : मूल्य परिवर्तन या महँगाई के कारण होने वाले परिवर्तनों को समायोजित करने के बाद, स्थिर (2011-12) मूल्यों पर राज्य का जीएसडीपी या वास्तविक जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 9.20% से बढ़कर 4,64,540 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, कोविड-19 महामारी के कारण 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 7.37% का संकुचन देखा गया था। उसके बाद स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी में 2021-22 में 4.96% और 2022-23 में 9.85% की वृद्धि हुई। वर्तमान में बिहार की अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में देश के राज्यों में 16वें स्थान पर है।

2023-24 में केवल प्राथमिक क्षेत्र में 10.66% की वृद्धि : मंत्रालय के त्वरित अनुमानों के अनुसार, तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र ने वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी में 57.06% का योगदान दिया है। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि और इससे संबंद्धित अन्य गतिविधियां शामिल हैं, ने 24.23% का योगदान दिया है। द्वितीयक क्षेत्र जिसमें मैन्यूफ्रैक्चरिंग क्षेत्र शामिल हैं, ने 18.16% का योगदान दिया। इन तीन क्षेत्रों में से केवल प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि और इससे संबंधित अन्य क्षेत्र ने ही वर्ष 2023-24 में 10.66% की वृद्धि के साथ पिछले वर्ष की तुलना में अधिक विकास दर दर्ज की है। तृतीयक क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में 16.89% की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2022-23 में 18.37% की वृद्धि दर से कम है। इसी तरह, वर्ष 2023-2024 में द्वितीयक क्षेत्र में 11.95% की वृद्धि दर 2022-2023 में 18.06% की तुलना में बहुत कम है।

(साभार : प्रभात खबर, 20.9.2024)

छह साल में बिहार का जीएसटी संग्रह 122 फीसदी बढ़ा : कर आयुक्त

पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के मामले में बिहार देश के शीर्ष पाँच राज्यों में शामिल रहा है। राज्य के जीएसटी संग्रह में 18 फीसदी की बढ़ोतरी, जो राष्ट्रीय औसत 13 फीसदी की तुलना में पाँच फीसदी अधिक है। पिछले छह वर्षों में राज्य के कर-संग्रह में 122 फीसदी की वृद्धि हुई है। जीएसटी लागू होने से पहले जहाँ वर्ष 2017-18 में कर-संग्रह 17,236 करोड़ था, वह वर्ष 2023-24 में बढकर 38198 करोड़ हो गया। 18.9.2024 को सूचना जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित विभागीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाणिज्य कर विभाग के सचिव सह राज्य कर आयुक्त संजय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। श्री सिंह ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 42,500 करोड़ जीएसटी संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। जिसकी तुलना में अगस्त 2024 तक 15,463 करोड़ राजस्व की वसूली हुई है जो विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.4 फीसदी अधिक है। हालांकि, यह अगस्त तक के लिए तय लक्ष्य 17 हजार करोड़ की तुलना में कम है। श्री सिंह ने कहा कि

चैम्बर अध्यक्ष जीएसटी सुविधा केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए

सुविधा केन्द्र के उद्घाटन कार्यक्रम में मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री सह-वित्त वाणिज्य कर मंत्री श्री सम्राट चौधरी। उनकी बाँयी ओर राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव श्री संजय कुमार सिंह भा. प्र. से. एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं दाँयीं ओर मुख्य आयुक्त सीजीएसटी डॉ बलवीर सिंह, भा. रा. से.।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी को पुष्पगुच्छ से स्वागत करते वाणिज्य-कर के अधिकारी। मंचासीन माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव श्री संजय कुमार सिंह, भा.प्र.से. एवं मुख्य आयुक्त सीजीएसटी डॉ. बलवीर सिंह, भा.रा.से.।

वाणिज्य-कर विभाग, बिहार के अंटाघाट स्थित कौटिल्य भवन में दिनांक 11 सितम्बर 2024 को जीएसटी सुविधा केंद्र का उद्घाटन श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त वाणिज्य कर मंत्री ने किया। इस कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी विशेष आमंत्रण पर शामिल हुए।

इस अवसर पर श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त, वाणिज्य कर मंत्री, बिहार, श्री सुभाष कुमार पटवारी, चैम्बर अध्यक्ष, श्री संजय कुमार सिंह,भा.प्र.से., राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव एवं डॉ0 बलवीर सिंह, भा.रा.से., मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी मंचासीन थे।

चैम्बर अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। चैम्बर अध्यक्ष को इस अवसर पर पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया।

सुविधा केन्द्र का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। साथ में माननीय उपमुख्य मंत्री श्री सम्राट चौधरी, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव श्री संजय कुमार सिंह, भा.प्र.से.., मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी डॉ बलवीर सिंह भा.रा.से. एवं अन्य।

वित्तीय वर्ष के अंत तक जीएसटी संग्रह के निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जायेगा, आमतौर पर शुरूआत छह महीने तक कम कर संग्रह होता है।

एकमुश्त समाधान योजना की अवधि बढ़ाकर मार्च 2025 की गयी : राज्य कर आयुक्त सह सचिव ने कहा कि कारोबारियों के हितों को देखते हुए सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना को मार्च 2025 तक विस्तारित किया है। इस योजना का लाभ अभी तक 2500 व्यवसायी उठा चुके हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस योजना से सरकार को कितना राजस्व आता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कारोबारियों को परेशानी से मुक्त करना और अधिकारियों के समय का बचत करना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वैट नियमावली में संशोधन करते हुए पेट्रोल पंप के व्यवसायियों को त्रैमासिक विवरणी दाखिल किए जाने से छूट दे दी है। पेट्रोल पंप व्यवसायियों को अब सिर्फ वार्षिक विवरणी दाखिल करनी है। मौके पर विभाग के संयुक्त सचिव कृष्ण कुमार, अंकेक्षण विशेषज्ञ संजय कुमार मार्वेडिया, राज्य कर विशेष आयुक्त सच्चिदानंद शर्मा और राज्य कर अपर आयुक्त-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी विनोद कुमार झा उपस्थित थे। **(साभार : प्रभात खबर, 19.9.2024)**

सिंगल पेमेंट सिस्टम एमनेस्टी स्कीम लागू

एक प्रेस वार्त्ता के दौरान वाणिज्य-कर विभाग के सचिव श्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि 2017-18 से 2019-20 तक 3 वर्षों के दौरान जिन व्यापारियों ने कर नहीं जमा किया है, उनके लिए सिंगल पेमेंट सिस्टम एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है। इस स्कीम के तहत व्यापारियों को कर का मूल धन जमा करना होगा। इस दौरान व्यापारियों पर लगाए गए जुर्माना और ब्याज को माफ कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए 3 वर्ष के दौरान यदि 10 लाख रुपए मूलधन है, ब्याज और जुर्माना सहित 30 लाख रुपए होता है, तो कर दाता 10 लाख रुपए जमा करके जुर्माना और ब्याज से बच सकता है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 19.9.2024)**

टैक्स डिफॉल्टर एकमुश्त जमा कर दंड में पाएं छूट

वाहन मालिकों को राहत लिए विभाग ने शुरू की सर्वक्षमा योजना

राज्य सरकार टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को राहत देगी। परिवहन विभाग द्वारा सर्वक्षमा योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बकाया पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर के एकमुश्त भुगतान पर अर्थदण्ड और ब्याज से विमुक्ति दी जाएगी।

इस योजना की बड़ी खासियत यह होगी कि वैसे वाहन स्वामी जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी। सर्वक्षमा योजना का लाभ 31 मार्च 2025 तक उठा सकते हैं। परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि विभिन्न ट्रक-बस ऑपरेटर, मालिकों एवं विभिन्न संघों के मांगों पर विचार करते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने में छूट का सुनहरा अवसर दिया गया है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में परिवहन, गैर परिवहन वाहन, टैक्टर-टेलर, बैट्री चालित वाहन स्वामी द्वारा समय पर कर जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर हो गए थे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 20.9.2024)**

"GST RELIEF TO FOREIGN AIRLINES ON IMPORT OF SERVICES A POSITIVE MOVE"

India's decision to exempt the import of services by a foreign airline company will be a big booster to increase confidence in the aviation sector. Willie Walsh, Director General of international Air Transport Association (IATA) said.

Giving a major relief to foreign airlines, the goods and services tax (GST) council has decided to exempt import of

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल, तमिलनाडु से मिला

महामहिम राज्यपाल श्री आर. एन. रवि को स्वागत एवं सम्मामित करते चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी के नेतृत्व में दिनांक 12 सितम्बर 2024 को तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल श्री आर.एन. रवि से राजभवन, पटना में मिला एवं महामहिम राज्यपाल को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंटकर सम्मानित किया।

महामहिम राज्यपाल ने इस अवसर पर तमिलनाडु में हो रहे औद्योगिक विकास पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग उद्योग, ऑटोमोबाइल, पेपर, लेदर, टेक्सटाइल, केमिकल एंड प्लास्टिक उद्योग में तमिलनाडु में अच्छा कार्य हो रहा है। एक-एक उत्पाद का अलग-अलग औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को तमिलनाडु के औद्योगिक ईकाइयों के भ्रमण हेतु आमंत्रित करते हुए हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन भी दिया।

प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री एन.के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री अशोक कुमार एवं श्री अजय कुमार सम्मिलित थे।

services by an establishment of a foreign airline. The relief was given citing the Indian carriers get similar tax benefits abroad.

"The issue was becoming concerning for the airlines. But with this change in regulation, it looks to be very optimistic for India." Walsh said on the sidelines of the Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation being held at new Delhi.

Walsh said that this will burnish India's image among the global aviation industry.

Earlier major foreign airlines including Emirates, British Airways and Lufthansa were served notices over the past few days over import of services by Indian branch offices as airlines were not covered by a circular on valuation of supply of import services by a related person, where the recipient is eligible for full input tax credit. **(Details : E. T. (New Delhi) 12.9.2024)**

यूपीआई लाइट में बैंक से राशि खुद जमा होगी

एनपीसीआई 31 अक्टूबर से 'ऑटो टॉपअप' सुविधा शुरू करेगा

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) जल्द ही यूपीआई लाइट के ग्राहकों के लिए ऑटो टॉप-अप सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके जरिए उपयोगकर्ता को अपने बैंक खाते से बार-बार यूपीआई लाइट में रकम जमा करने की जरूरत नहीं होगी। रकम स्वत: ही यूपीआई वॉलेट में जमा हो जाएगी। नई सुविधा 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी।

एनपीसीआई ने हाल ही में इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक, ग्राहक अपने यूपीआई लाइट खाते में अपनी पसंद की राशि फिर से जमा करने के लिए ऑटो टॉप-अप विकल्प का इस्तेमाल कर सकेंगे। ग्राहक किसी भी समय इस सुविधा को बंद भी कर सकते हैं। छोटे भुगतान के लिए यूपीआई लाइट की सुविधा शुरू की गई है। इसके जरिए 500 रूपये तक के भुगतान के लिए यूपीआई पिन की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि, इससे ज्यादा राशि का भुगतान करने पर यूपीआई पिन दर्ज करना जरूरी होता है।

निश्चित राशि तय करनी होगी : इस सुविधा में ग्राहक को बैंक खाते से यूपीआई लाइट खाते में आने वाली एक निश्चित राशि तय करनी होगी। यदि किसी ग्राहक ने टॉप-अप के तौर पर 1000 रुपये की सीमा निर्धारित की है तो जैसे ही यूपीआई लाइट वॉलेट में बैलेंस खत्म होगा वैसे ही 1000 रुपये खुद से उसमें जुड़ जाएँगे। यूपीआई के जरिए ऑनलाइन भुगतान करने वालों को इससे काफी आसानी होगी।

अधिकतम इतनी राशि जुड़ेंगी : यूपीआई लाइट में राशि रखने की अधिकतम सीमा 2,000 रुपये है। इसका मतलब है कि ग्राहक एक बार में 2,000 रुपये का ही ऑटो-टॉप कर सकते हैं।

बैंकों-कंपनियों पर ये निर्देश लागू होंगे

1. जारीकर्ता बैंक यूपीआई लाइट पर ऑटो टॉप-अप की सुविधा देंगे, जिसमें मैनडेट बनाने की अनुमति देनी चाहिए।
2. यूपीआई लाइट खाते में एक दिन में अधिकतम पाँच बार ही बैंक खाते से निर्धारित तय रकम जोड़ी जा सकेगी।
3. संबंधित थर्ड पार्टी भुगतान ऐप सेवा कपनियों और बैंकों को मैनडेट सुविधा लागू करते वक्त सत्यापन करना होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 16.9.2024)

आधार में मुफ्त बदलाव अब 14 दिसम्बर तक कर पाएंगे

आधार कार्ड को अपडेट करने की समय सीमा बढ़ गई है। अब 14 दिसम्बर तक बिना शुल्क दिए जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। पहले अंतिम तिथि 14 सितम्बर थी।

ऑनलाइन इसमें परिवर्तन : निशुल्क सेवा माय आधार पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके साथ ही माई आधार ऐप पर भी लॉगइन किया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से केवल नाम, पता, लिंग, और जन्मतिथि में बदलाव किया जा सकता है।

आधार केन्द्र जाना होगा : अगर किसी आधार से लिंक मोबाइल नंबर, ईमेल, फिंगर प्रिंट या आइरिस स्कैन को बदलवाना है तो उसे नजदीकी आधार सेवा केन्द्र से संपर्क करना होगा। वहाँ यह बदलाव करने पर 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

ये दस्तावेज अपलोड होंगे : पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र की कॉपी अनिवार्य है। पासपोर्ट, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, बिजली का बिल, फोन बिल, किराए का एग्रीमेंट, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन बिल या अन्य सरकारी दस्तावेज दे सकते हैं।

इस तरह करें अपडेट

1. यूआईडीएआई की वेबसाइट (https://myaadhaar. uidai.gov.in) पर जाएँ।

चैम्बर में वाणिज्य-कर की समस्याओं के निदान हेतु वाणिज्य-कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक

कार्यशाला में मंचासीन चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं राज्य कर के पदाधिकारीगण।

बैठक में सम्मिलित बिहार चैम्बर के पदाधिकारीगण, सम्मानित सदस्यगण, विभिन्न व्यवसायिक संगठन, अधिवक्ता व् चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रतिनिधिगण एवं करदातागण

वाणिज्य कर विभाग कि ओर से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 6 सितम्बर, 2024 को व्यावसायिक संगठनों, अधिवक्ताओं व चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रतिनिधियों एवं करदाताओं आदि के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक का उद्देश्य वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण करना था। बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं स्टेट जीएसटी के पदाधिकारीगण मंचासीन थे।

2. होमपेज पर' आधार अपडेट' का विकल्प चुने। यदि पता बदलवाना है तो अपडेट एड्रेस का विकल्प चुने।
4. फिर पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी जनरेट करें।
5. फिर 'डॉक्यूमेंट अपडेट' का विकल्प चुनें। इन्हें सत्यापित करें और फिर पता अपडेट करने के लिए मांगे गए प्रमाणपत्र को अपलोड करें।
6. इसके बाद आपको 14 नंबर का अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (यूआरएन) नम्बर मिल जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.9.2024)**

मंगलवार-शुक्रवार को सुनी जाएँगी बिजली की शिकायतें

बिजली संबंधित शिकायतों का निष्पादन हर सप्ताह होगा। बिजली कंपनी प्रशाखा स्तर से लेकर अंचल स्तर तक सभी पदाधिकारी / कर्मियों को हर सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को कार्यालय में मौजूद रहने को कहा गया है। पदाधिकारी सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक हर हाल में मौजूद रहेंगे। किसी भी स्तर पर इसमें लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई होगी।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जीएम राजस्व अरविन्द कुमार ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत रहती है कि फील्ड ड्यूटी में रहने के कारण क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारी कार्यालय में नहीं मिलते हैं।

निर्देश जारी किया है कि कार्यालय अवधि सुबह दस से शाम पाँच बजे तक है। इस अवधि में अधिकारियों का क्षेत्रीय भ्रमण आवश्यक हो तो कार्यालय वापस आने के संभावित समय की जानकारी कार्यालय में कनिष्ठ पदाधिकारी को दें ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.9.2024)**

बिहार में 36 हजार करोड़ निवेश की प्रक्रिया शुरू

उद्योग मंत्री ने कहा – 236 कंपनियाँ कर रही निवेश, बक्सर और बेतिया में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनने से निर्यात बढ़ेगा

उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि बिहार को उद्योग प्रोत्साहन के लिए बनी नीति का लाभ मिल रहा है। पिछले साल दिसम्बर में 278 कंपनियों ने 50 हजार 530 करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर किया था। इनमें से 236 कंपनियों द्वारा 36 हजार करोड़ रुपये के निवेश की प्रक्रिया चल रही है। इन्हें जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है। दिनांक 9.9. 2024 को सूचना भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में उद्योग मंत्री ने बताया कि बिहार में अडानी, जे. के. लक्ष्मी सीमेंट, ब्रिटानिया, न्यूजीन, एसएलएमजी, टाइगर एनालिटिक्स, एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया है।

बांका और भागलपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर बनेगा। राज्य में 85 इंडस्ट्रियल एरिया और नौ क्लस्टर हैं। सात जिलों अरवल, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा और बांका में उद्योग के लिए भूमि बैंक नहीं हैं। इन जिलों में भी बियाडा के तहत जमीन उपलब्धता के प्रयास किए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 24 लाख वर्गफुट में प्लग एंड शेड का निर्माण कराया गया है। इनमें 15.50 लाख वर्गफुट का आवंटन हो चुका है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि गया में 1670 एकड़ भूमि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा। यह बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। इसमें 28 हजार करोड़ का निवेश होगा। 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। बक्सर के नवानगर और बेतिया के कुमारबाग में 125 एकड़ में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के निर्माण से बिहार से होने वाले निर्यात में वृद्धि होगी। बिहटा में 53 करोड़ से निर्मित इरेडिएशन सेंटर कम पैकहाउस से बिहार के खास

नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पटना नगर निगम की ओर से आयोजित 'मिशन टोटल सेग्रीगेशन' में चैम्बर के सदस्यगण शामिल हुए

कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

नगर विकास एवं आवास विभाग एवं पटना नगर निगम की ओर से "मिशन टोटल सेग्रीगेशन" कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 19 सितम्बर 2024 को पटना के बापू सभागार में किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि श्री नन्द किशोर यादव, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार थे। कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय सांसद, पटना साहिब की थी। सम्मानित अतिथियों में माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा, कुम्हरार विधान सभा क्षेत्र, माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया, दीघा विधान सभा क्षेत्र, माननीया महापौर, पटना श्रीमती सीता साहु एवं माननीया उप महापौर श्रीमती रेशमी कुमारी उपस्थित थीं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री श्री नितिन नवीन ने की। चैम्बर अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया।

इस कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व महामंत्री श्री राजाबाबू गुप्ता एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश जैन, श्री पवन भगत, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री आशीष प्रसाद एवं अन्य सदस्य सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी।

उत्पादों की गुणवता और निर्यात में वृद्धि होगी। मुजफ्फरपुर महबल में 62 एकड़ में 940 करोड़ की लागत से चमड़ा उत्पाद पार्क का निर्माण हो रहा है। यहाँ बेल्ट, जूता, पर्स आदि के उद्योग लगेंगे। अभी मखाना जैसे उत्पाद दूसरे राज्यों से निर्यात होने के कारण यह उनके खाते में चला जाता है। निर्यात की सुविधा होने से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सभी 101 अनुमंडलों में उद्यमिता विकास केन्द्र होंगे। उद्यम के लिए इसमें प्रशिक्षण और सहायता मिलेगी।

एक जिला एक उत्पाद का प्रखंड स्तर पर होगा विस्तार : उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद का दायरा बढ़ेगा। इसे प्रखंड स्तर पर ले जाने की तैयारी है। हर प्रखंड का अपना खास उत्पाद है। इसे प्रोत्साहित किया जाएग। इससे रोजगार की संभावना बढ़ेगी। उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिलेगा।

उद्यमी योजना के लाभुकों को 2696 करोड़ मिले : उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 34 हजार 441 लाभार्थियों को 2696 करोड़ की सहायता दी गई है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत दो-दो लाख की सहायता के लिए 40102 लाभुकों का चयन किया गया है। इन्हें प्रथम किस्त के तहत 200 करोड़ की राशि दी गई है। मौके पर उद्योग निदेशक आलोक रंजन घोष खाद्य प्रसंस्करण निदेशक रवि प्रकाश और बियाडा प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार मौजूद थे।

आगे की कार्ययोजना : • भारत के कुल निर्यात में बिहार की भागीदारी 0.52 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करनी • इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया की तरह नए औद्योगिक क्षेत्रों और क्लस्टर का विकास • विनिर्माण क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 17 फीसदी योगदान को 27 फीसदी ले जाना • बिहार को पूर्वी भारत में निवेश के लिए पसंदीदी स्थान बनाने की योजना पर काम होगा • कौशल विकास के तहत उद्योगों की मांग के अनुसार रोजगार क्षमता में सुधार किया जाएगा।

13 सितम्बर, 2024 को मुम्बई में निवेशक सम्मेलन : उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने कहा कि 13 सितम्बर, 2024 को मुम्बई में बिहार इन्वेस्टर्स (निवेशक) समिट आयोजित किया जाएगा। इसमें केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। विभिन्न सेक्टर के उद्योगपति और निवेशकों को इसमें आमंत्रित किया गया है। निवेशकों को बताया जाएगा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं। निवेशकों को बिहार में निवेश करने की अपील की जाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 10.9.2024)

उद्योगों को अब नई दर पर मिलेगा बिजली कनेक्शन

• तीन से लेकर 150 किलोवाट की दर हुई तय • यह शुल्क फिलहाल दो वर्षों के लिए लागू होगा

बिजली कंपनी ने बिहार में छोटे-छोटे उद्योगों के लिए कनेक्शन दर तय कर दिया है। उद्यमियों को अब कंपनी की ओर से तय दर के अनुसार ही बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। कंपनी ने इस बाबत बिहार विद्युत विनियामक आयोग में

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल नवनियुक्त मुख्य सचिव, बिहार से मिला

नवनियुक्त मुख्य सचिव, बिहार श्री अमृत लाल मीणा, भा.प्र.से. को पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

मुख्य सचिव, बिहार श्री अमृत लाल मीणा, भा.प्र.से. के साथ विचार-विमर्श करते प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी के नेतृत्व में दिनांक 9 सितम्बर, 2024 को नव नियुक्त मुख्य सचिव, बिहार श्री अमृत लाल मीणा, भा.प्र.से. से मिला एवं उनके मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने पर पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर उन्हें बधाई दी।

प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व महामंत्री श्री राजा बाबू गुप्ता, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, कार्यकारिणी सदस्य श्री राकेश कुमार एवं श्री सांवल राम ड्रोलिया सम्मिलित थे।

याचिका दायर कर दी है। आयोग का फैसला होते ही बिहार में नई दर प्रभावी हो जाएगी। यह शुल्क दो वर्षों के लिए तय किया गया है।

नई व्यवस्था बहुमंजिली इमारतों, अपार्टमेंट, व्यवसायिक भवनों पर लागू नहीं होगी। उद्यमियों को तीन किलोवाट तक कनेक्शन लेने के लिए 27 सौ रुपये देने होंगे। इसके तहत 500 मीटर तक कंपनी आधारभूत संरचना तैयार कर कनेक्शन देगी। सिंगल फेज में ही चार किलोवाट तक का कनेक्शन लेने पर 5 सौ रुपये देने होंगे। इससे अधिक सात किलोवाट तक का कनेक्शन लेने पर 500 रुपये प्रति किलोवाट पैसे देने होंगे।

एलटी थ्री फेज में पाँच से 19 किलोवाट पर 9150 रुपए प्रति किलोवाट की दर से भुगतान करना होगा। एलटी थ्री फेज में 20 से 44 किलोवाट के लिए 97 सौ रुपए प्रति किलोवाट भुगतान करना होगा। बड़े औद्योगिक कनेक्शन में थ्री फ्रेज में 45 किलोवाट से 150 किलोवाट का कनेक्शन लेने पर सात हजार प्रति किलोवाट भुगतान करना होगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 17.9.2024)**

औद्योगिक परमिट देने में पूर्वी भारत में बिहार सबसे आगे

2015-2023 के बीच 42301 इकाइयों को मंजूरी

बिहार में औद्योगिकीकरण ने रफ्तार पकड़ी है। इसके मजबूत संकेत वर्ष 2015-2023 के बीच जारी हो रहे औद्योगिक परमिट आंकड़ों से मिल रहे हैं। इसी समयावधि के दौरान बिहार में 42301 इकाइयों को औद्योगिक परमिट दिये गये हैं। इस लिहाज से पूरे देश में बिहार सातवें स्थान पर है।

जहाँ तक पूर्वी भारत का सवाल है, इसके दायरे में आने वाले राज्यों में औद्योगिक परमिट देने में बिहार सबसे आगे है।

इस आशय के ये आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज के तहत संचालित ऑनलाइन कॉसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनीटरिंग सिस्टम की तरफ से हाल ही में ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किये हैं। इसमें 17 कैटेगरी अर्थात आत्याधिक प्रदूषणकारी उद्योग लगाने के प्रस्ताव शामिल नहीं है। अनौपचारिक तौर पर यह परमिट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता है।

सबसे कम औद्योगिक परमिट 2019 में दिये गये : आकड़ों पर नजर डालें तो शताब्दी की सबसे बड़ी बीमारी कोरोना के बाद के साल में बिहार में उद्योग लगाने के सबसे अधिक औद्योगिक प्रस्तावों को औद्योगिक परिमट दिये गये है। पिछले नौ साल में कुल क्लियरेंस का 40 प्रतिशत विलयरेस वर्ष 2021, 2022 और 2023 में दिये गये। इस दौरान उद्योग स्थापना के लिए क्रमश: 5473,6703 और 4370 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।

पिछले नौ साल में सबसे कम औद्योगिक परमिट 2019 में दिये गये। जब केवल 3212 औद्योगिक यूनिटों को मंजूरी दी जा सकी। हालांकि, वर्ष 2020 में 4555 को परमिट मिला। इससे पहले के वर्षों मसलन 2015 में 4063, 2016 में 4672, 2017 में 5327, 2018 में 3805 यूनिट को औद्योगिक परमिट दिये गये थे। इस तरह यह कहा जा सकता है कि हाल के वर्षों में बिहार में सकारात्मक औद्योगिक माहौल बना है।

फैक्ट फाइल : • पूर्वी भारत में बिहार के अलावा झारखण्ड में 35950, ओडिशा में 37823 और पश्चिम बंगाल में 36085 औद्योगिक आवेदनों को सबसे अधिक परमिट दिये गये है • पूरे देश में यूपी, तामिलनाडू, पंजाब, केरल, दिल्ली व हरियाणा के बाद बिहार में मंजूर हुए आवेदन।

बिहार के टॉप टेन जिले, जहाँ सबसे अधिक आवेदनों को पर्यावरण मंजूरी मिली

जिला	प्रस्तावों को मिली मंजूरी	जिला	प्रस्तावों को मिली मंजूरी
पटना	5345	भोजपुर	1524
गया	2553	समस्तीपुर	1451
मुजफ्फरपुर	2552	पूर्वी चंपारण	1448
रोहतास	1734	सारण	1319
वैशाली	1637	नालन्दा	1301

(साभार : प्रभात खबर, 20.9.2024)

राज्य के 50% मक्के की खपत हो रही इथेनॉल प्लांटों में

इथेनॉल प्लांटो में अब राज्य में उत्पादित मक्के की 50 फीसदी खपत हो रही है। बीते साल से इसमें लगभग 30 फीसदी का उछाल आया है। वर्ष 2022 में 20 फीसदी ही इथेनॉल प्लांटो में खपत हो रही थी। इसके बाद सबसे अधिक खपत पशु चारा के निर्माण में हो रहा है। पशु चारा के लिए 30 फीसदी मक्के की खपत हो रही है, जबकि वर्ष 2022 में 50 फीसदी मक्के का उपयोग पशुचारा के लिए हो रहा था। पशुचारा से यह इथेनॉल प्लांटों में शिफ्ट हो गया है। राज्य में कुल 17 इथेनॉल प्लांट खोले जाने हैं। इसमें11 खुल गये हैं। इस साल और शेष छह सभी ऑपरेशनल हो जाएँगे। इन छह के ऑपरेशनल होने के बाद मक्के की और डिमांड बढ़ेगी। किसानों को मक्के का उचित दाम मिल पायेगा।

पाँच फीसदी मक्के का हो रहा निर्यात : वर्ष 2023 में राज्य में उत्पादित मक्के का पाँच फीसदी दूसरे राज्यों में निर्यात हुआ। प्रोसेस्ड फूड में पाँच फीसदी, स्टार्च इंडस्ट्री में पाँच, फूड में पाँच फीसदी मक्के की खपत हो रही है। एक फीसदी अन्य दूसरे कार्यों में मक्के का उपयोग हो रहा है।

30 फीसदी मक्के से बन रहा पशुओं का चारा : • बीते साल से

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल नव नियुक्त पुलिस महानिदेशक से मिला

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी के नेतृत्व में दिनांक 11 सितम्बर, 2024 को नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक, बिहार श्री आलोक राज, भा.पु.से. से मिला एवं उनके नए पदभार ग्रहण करने पर पुष्पगुच्छ भेंटकर बधाई दी। चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि यह एक औपचारिक भेंट वार्त्ता थी। इसमें एक दूसरे का परिचय सहित राज्य की विधि-व्यवस्था पर चर्चा हुई। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस महानिदेशक से विधि-व्यवस्था संबंधित विषयों पर विस्तृत विमर्श हेतु चैम्बर आने का आग्रह किया गया। पुलिस महानिदेशक ने शीघ्र ही चैम्बर आने की स्वीकृति दी।

प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय सम्मिलित थे।

इसमें 30 फीसदी का उछाल आया है। वर्ष 2022 में 20 फीसदी ही इथेनॉल प्लांटो में खपत हो रही थी। • वर्ष 2023 में राज्य में उत्पादित मक्के का पाँच फीसदी दूसरे राज्यों में निर्यात हुआ।

निर्यात व स्टार्च उद्योग में गिरावट : वर्ष 2022 में आठ फीसदी मक्के का निर्यात हुआ था। राज्य में ही खपत अधिक होने से इसके निर्यात में तीन फीसदी गिरावट आयी है। स्टार्च इंडस्ट्री में भी वर्ष 2022 में सात फीसदी मक्के की खपत हुई थी, इसके अगले साल दो फीसदी की गिरावट आयी। वर्ष 2022 में फूड में आठ फीसदी व अन्य कार्यों में दो फीसदी मक्के का उपयोग हुआ था। इसमें वर्ष 2023 में पाँच और दूसरे कार्यों में एक फीसदी ही मक्के का उपयोग हुआ।

सूबे में मक्के का हुआ 33 लाख टन उत्पादन : वर्ष 2023-24 में मक्के का उत्पादन 33.78 लाख एमटी हुआ। वर्ष 2022-2023 में मक्के का उत्पादन 48.29 लाख एमटी हुआ था। बिहार के नये उत्पादों का सृजन हो रहा है। इस बीच उत्पादन में गिरावट आयी है। कारण कि वर्ष 2022-23 में 7.48 लाख हेक्टेयर में मक्के की खेती हुई थी। वर्ष 2023-24 में 5.64 लाख हेक्टेयर में ही मक्के की खेती हुई। **(साभार : प्रभात खबर, 9.9.2024)**

तिलकुट, खुरमा व बालूशाही को शीघ्र मिलेगा जीआइ टैग

वैशाली, नालंदा, भोजपुर, गया एवं सीतामढ़ी जिले के डीएम के आवेदन पर केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय की शीघ्र लगेगी मुहर

बिहार के कई उत्पादों को केन्द्र सरकार विशिष्ट पहचान जीआइ टैग (भौगोलिक संकेतक) देगा। गया के तिलकुट व पत्थलकटी, वैशाली (हाजीपुर) के चीनिया केला, नालंदा की बावनबुटी, भोजपुर जिले के उदवंतनगर के खुरमा एवं सीतामढ़ी की बालूशाही को शीघ्र ही जीआइ टैग देने की तैयारी है।

गया, वैशाली, सीतामढ़ी, भोजपुर एवं नालंदा के जिलाधिकारियों की ओर से यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत (जीआइ) अधिकार, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री (जीआइआर) ने आवेदन स्वीकार कर लिया है। बिहार के इन उत्पादों पर वाणिज्य मंत्रालय की मुहर लगते ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति का रास्ता साफ हो जाएगा। विदित हो कि 2014 के बाद मोदी सरकार भागलपुर के कतरनी चूड़ा एवं मिथिला मखाना समेत आठ उत्पादों को जीआइ टैग प्रदान कर चुकी है।

शाही लीची व जर्दालु आम को मिल चुका जीआइ टैग : दस वर्षों में भागलपुरी जर्दालु आम, कतरनी चूड़ा व सिल्क, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मिथिला मखाना, मगही पान, नालंदा जिले के सिलाव के खाजा, मधुबनी पेंटिंग को जीआइ टैग मिलने के बाद काफी प्रसिद्धि मिली है। साथ ही कारोबार में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय एवं अतंरराष्ट्रीय स्तर पर इन उत्पादों की मांग भी बढ़ी है। बिहार के इन उत्पादों की नए सिरे से ब्रांडिग भी हुई है।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में खुलेगा फैसिलिटेशन सेंटर : नाबार्ड के सहयोग से शीघ्र ही बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) में जीआइ टैग फैसिलिटेशन सेंटर खोलने की तैयारी है। इस पहल के बाद बिहार के अन्य उत्पादों को वैश्विक स्तर पर विशेष पहचान दिलाने एवं उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में यह पहल की जा रही है। **(साभार : दैनिक जागरण, 17.9.2024)**

मीठापुर में खुलेगा एपीडा दफ्तर, निर्यात होगा आसान

अब राज्य से मखाना, आम, लीची सहित अन्य कृषि उत्पाद का निर्यात आसान हो जाएगा। जल्द ही पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन में एपीडा (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) का कार्यालय खुलेगा। दिल्ली में केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बिहार में संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना की समीक्षा हुई। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय व सचिव संजय कुमार अग्रवाल आदि बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान ही एपीडा के अध्यक्ष ने बताया कि पटना में एपीडा का कार्यालय खालने की सहमति दे दी गई है। बिहार से मखाना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एचएस कोड अलग करने का भी निर्देश बैठक के दौरान दिए गए। मखाना का निर्यात के लिए अभी अलग से कोड नहीं होने के कारण इसे अभी ड्राइफ्रूट में ही गिना जाता है। कोड अलग होने से भी मखाना निर्यात बढ़ेगा। केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार बिहार के किसानों को हर संभव मदद करेगी। कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि बैठक के दौरान राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर में शहद के अनुसंधान और लैब टेस्टिंग के लिए सहमति प्रदान की गई है। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने मखाना और मक्का अनुसंधान केन्द्र के सुदृढ़ीकरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक को निर्देश दिया है। बैठक में केन्द्रीय कृषि मंत्री ने हाईब्रीड-उन्नत बीजों के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 'सहयोग' प्रदान करने के निर्देश भी दिए। साथ ही, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अधिक आवंटन के लिए बिहार की मांग पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल दिशा-निर्देश दिए। साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बिहार के लिए दूसरी किश्त जारी कर दी गई। यह भी तय हुआ कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के बिहार स्थित क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान व बीज उत्पादन केन्द्र को आवश्यकतानुरूप अत्याधुनिक बनाया जायगा।

अब तक वाराणसी कार्यालय पर निर्भर थे किसान : कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ताजा सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए प्रमुख निकाय है। अबतक बिहार में इसका कोई कार्यालय नहीं रहने से यहाँ के किसान और सरकार वाराणसी में स्थित एपीडा केन्द्र के सहारे पर निर्भर रहते थे। पटना में एपीडा दफ्तर खुल जाने से बिहार के किसानों को कृषि उत्पादों के निर्यात में सहुलियत होगी। मालूम हो कि शाही लीची, भागलपुरी जर्दालु आम, कतरनी चावल, मर्चा चावल और मगही पान जैसे कई उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है। इन उत्पादों को विदेश भेजे जाने में सहायता मिलेगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 19.9.2024)**

चैम्बर अध्यक्ष नव पदस्थापित बियाडा के प्रबन्ध निदेशक से मिले

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं उपाधयक्ष श्री आशीष शंकर ने दिनांक 10 सितम्बर, 2024 को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के नवपदस्थापित प्रबन्ध निदेशक श्री कुंदन कुमार, भा.प्र.से. से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार मुलाकात की।

निर्यातकों को एक मंच पर सारी जानकारी मिलेगी

आयात व निर्यात से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नया पोर्टल शुरू किया है। बुधवार 18.9.2024 को वाणिज्य मंत्रालय में केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेक कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म को लांच किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए व्यापार से जुड़े हर प्रक्रिया को सुगम बनाए जाने की दिशा में सरकार काम कर रही है।

यह प्लेटफॉर्म सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय, भारत निर्यात-आयात बैंक, टीसीएस और विदेश मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया है। मंत्री ने कहा कि मंच पर सीमा शुल्क, उससे जुड़े नियमों, उत्पाद और किन देशों में उत्पादों को निर्यात करने की संभावनाएँ हैं और मुक्त व्यापार समझौते से लेकर अन्य सभी जानकारी उपलब्ध होंगी। पोर्टल निर्यातकों को व्यापक समर्थन और संसाधन प्रदान करने का काम करेगा, जिससे लोगों को कारोबार करने में मदद मिलेगी। इस पोर्टल को नियमित तौर पर अपेडट किया जाएगा, जिससे लोगों को एक ही जगह पर सारी जानकारी मिल सके।

बैंकों को भी पोर्टल से जोड़ा जाएगा : विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि पोर्टल निर्यातकों को तत्काल व्यापार-संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने का काम करेगा।

अगले वर्ष कई नई सेवाएँ जोड़ेंगे: गोयल

अगले वर्ष तक इस पोर्टल का दूसरा संस्करण पेश किया जाएगा, जिसमें ज्यादा सेवाओं को पोर्टल के माध्यम से मुहैया कराने की कोशिश होगी। गोयल ने अधिकारियों से आहवान किया कि हमारी कोशिश पोर्टल के जरिए सभी वर्गों तक जानकारी मुहैया कराने की होनी चाहिए। इसलिए पोर्टल को क्षेत्रीय भाषाओं में भी पेश किया जाए।

उधर, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि यह निर्यातकों के लिए चैटजीपीटी की तरह काम करेगा। उन्हें निर्यात से जुड़ी हर जानकारी मुहैया कराएगा। इसके साथ ही एनओसी लेने में भी मदद करेगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.9.2024)

राज्य के 8 जिलों में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलेगा

• पर्यटन स्थलों के विकास के लिए बन रही कार्ययोजना • मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम व कोल्हुआ समेत कई स्थल राष्ट्रीय मानचित्र पर आएँगे

मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के 5 और सीमांचल के 3 जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देकर उसे उद्योग का दर्जा देने की तैयारी चल रही है। बिहार विधानसभा की पर्यटन अध्ययन समिति 18-19 सितम्बर को मुजफ्फरपुर, उसके बाद 27 सितम्बर तक बारी-बारी से अन्य 7 जिलों में जाएगी। वहाँ जाकर देखेगी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ कौन से कार्य कराए जा सकते हैं। वहाँ के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक धरोहरों को किस तरह से बचाया और उनका विकास किया जा सकता है। समिति विभाग से बात कर विलुप्त हो रही धरोहरों के उत्थान की योजना तैयार करेगी। बिहार विधानसभा के उप सचिव संजय कुमार ने इसके लिए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया व मधेपुरा के डीएम को पत्र लिखकर इसकी तैयारी करने के लिए कहा है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 12.9.2024)

कन्हौली टर्मिनल से प्रतिदिन 5 हजार बसें चलेंगी देश के कई शहरों के लिए होगा बसों का परिचालन

बीच शहर में सिर्फ फुलवारी बस डिपो, शहर के दोनों छोर पर होंगे बड़े बस टर्मिनल

कन्हौली में 50 एकड़ जमीन पर बस टर्मिनल का काम आगे बढ़ा है। प्रस्तावित रिंग रोड को कनेक्ट करते हुए इस नए बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। यहाँ से प्रतिदिन 5 हजार से अधिक बसों का परिचालन होगा, जो राज्य के अधिकतर शहरों को जोड़ेगी।

साथ ही देश के अन्य शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी जैसे 20 शहरों को जोड़ने के लिए यहाँ से बसों का परिचालन होगा। यहाँ से नेपाल के लिए भी बस चलाने की तैयारी है। इसकी क्षमता पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से दोगुनी होगी। पाटलिपुत्र बस टमिनल को 25 एकड़ पर बनाया गया है। सरकारी बसों की पार्किंग समेत अन्य कार्य के लिए 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इस जमीन से 20 एकड़ अधिक कन्हौली बस टर्मिनल के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

फुलवारी बस डिपो से खुलने वाली सिटी बसें जोड़ेंगी दोनों बस स्टैंड को : फुलवारीशरीफ में बड़े बस डिपो का निर्माण कराया गया है। बांकीपुर बस स्टैंड को बंद कर होटल बनाने की तैयारी है। ऐसे में बीच शहर में सिर्फ फुलवारीशरीफ में ही बस डीपो रहेगा। फुलवारीशरीफ परिसर में 1096 वर्ग मीटर में 200 बसों के पार्किंग की जगह है। यहाँ से सिटी सर्विस की इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों की पार्किंग की जाती है। यहीं से शहर के विभिन्न रूटों के लिए सिटी बसें खुलती है। इसके अलावे स्टेट भी बस खुलती है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 12.9.2024)

विवाद हुआ तो साफ्टवेयर रोक देगा रजिस्ट्री

• 100 वर्ष पहले तक की रजिस्ट्री का केन्द्र सरकार ने देशभर में शुरू कराया डिजिटलीकरण • भूमि संबंधी विवादों को कम से कम करने की कवायद • डिजिटल हो रहा भू-अभिलेख राज्यों को दिया जाएगा साफ्टवेयर

भूमि संबंधी विवादों को कम से कम करने और व्यवस्था को पारदर्शी व सरल बनाने के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड्स माडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डीआइएलआरएमपी) के तहत सरकार देशभर में 100 वर्ष पहले तक की सभी रजिस्ट्री को स्कैन करा उनका डिजिटलीकरण करा रही है। यह काम अधिकतर राज्यों में चल रहा है। सरकार की योजना है कि सारा भू-अभिलेख डिजिटल व प्रक्रियाएँ आनलाइन होने के बाद राज्यों की सहमति के आधार पर उन्हें एनआइसी के सहयोग से निर्मित साफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से ऐसी किसी भूमि या संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी जिस पर कि विवाद हो।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 12.9.2024)

चैम्बर अध्यक्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक में शामिल हुए

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 2024 को श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से., प्रबन्ध निदेशक, बियाडा की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में आयोजित हुई।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

IMPORTANT INFORMATION

Sub.: Extension of timelines for filing of various reports of audit for the Assessment year 2024-25

Central Board of Direct Taxes (CBDT), Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India issued Circular No. 10/2024 Dated 29th September 2024 for extension of timelines for filing of various reports of audit for the Assessment year 2024-25, Which was 30th September, 2024 to 07th October, 2024.

The above Circular is appended below for your in information.

Circular No. : 10/2024

F. No. 225/205/2024/ITA -II

Government of India

Ministry of Finance

Department of Revenue

Central Board of Direct Taxes

New Delhi, dated 29th September, 2024

Subject : Extention of timelines for filing of various reports of audit for the Assessment Year 2024-25 reg.

On consideration of difficulties faced by the taxpayers and other stakeholders in electronic filing of various reports of audit under the provisions of the Income-tax Act, 1961 (Act), the Central Board of Direct Taxes (CBDT), in exercise of its powers under section 119 of the Act, extends the specified date of furnishing of report of audit under any provision of the Act for the previous Year 2023-24, which was 30th September, 2024 in the case of assesses referred in clause (a) of Explanation 2 to sub-section (1) of section 139 of the Act, to **07th October, 2024**.

Sd/-

(Dr. Castro Jayaprakash. T)

Under Secretary to the Government of India

होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल एवं रेस्टोरेंट के संचालकों के लिए आवश्यक सूचना

औद्योगिक क्षेत्रों का संशोधित वर्गीकरण (जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा अंगीकार किया गया है), के तहत सहमति प्राप्त करने हेतु होटल व्यवसाय का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है:-

क्र.	होटल	वर्गीकरण
1.	100 किलोलीटर प्रति दिन से अधिक अपशिष्ट जल का निःस्सरण करने वाले **होटल;**	लाल
2.	3 स्टार से कम अथवा 20 कमरों से अधिक परन्तु 100 कमरों से कम क्षमता के **होटल** जो 100 किलोलीटर प्रतिदिन से कम अपशिष्ट जल निःस्सारित करते हैं;	नारंगी
3.	(क) **बिना बॉयलर वाले 20 कमरों तक के होटल, जिनके द्वारा 10 किलोलीटर प्रतिदिन से कम अपशिष्ट जल निःस्सारित किया जाता है** तथा जिनके द्वारा खतरनाक अपशिष्ट का जनन नहीं किया जाता हो; (ख) (i) 20 कमरों से कम क्षमता के **होटल;** (ii) कम से कम 100 वर्गमीटर तक धरातल क्षेत्रफल के **बैंक्वेट हॉल;** (iii) कम से कम 36 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले **रेस्टोरेंट**	हरा

PR No.- 007406 (B&C)D. 2024-25

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एम.सी.मेहता बनाम् भारत सरकार (मूल आवेदन संख्या- 200/2014) में दिनांक 10.12.2015, 13.07.2017 एवं 14.05.2019 को पारित आदेशों के अनुसार 'होटल, धर्मशाला एवं आश्रम' के संचालन हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से सहमति लेना एवं मलजल/सीवेज के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करना अनिवार्य है।

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली द्वारा वेस्टएण्ड ग्रीन फार्म सोसाईटी बनाम् यूनियन ऑफ इंडिया (मूल आवेदन संख्या-400/2017) में दिनांक-23.07.2020 को पारित आदेश के अनुसार 'होटल, रेस्टोरेंट, मैरेज हॉल एवं बैंक्वेट हॉल' के संचालन हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से सहमति लेना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त पर्यावारण (संरक्षण अधिनियम, 1996 के तहत बनाये गये नियमावलियों यथा-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016; अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबधन नियमावली, 2016 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016) ई. अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 तथा बैटरी प्रबंधन एवं हथालन नियमावली, 2001 यथा संशोधित में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल एवं रेस्टोरेंट समेत सभी प्रकार के उद्योग की स्थापना हेतु दिये गये निदेशों को QR कोड को स्कैन कर अथवा http://bspcb.bihar.gov.in/Siting_Guideline_3.10.18.pdf लिंक पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

उपरोक्त आदेश के आलोक में एतद द्वारा निदेशित किया जाता है कि राज्य स्थित सभी होटल, रेस्टोरेंट, मैरेज हॉल तथा बैंक्वेट हॉल बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त करने के पश्चात् संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त कर ही संचालन करेंगे। इसका उल्लंघन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वर्णित दण्डात्मक प्रावधानों को आकृष्ट करेगा।

जन—सामान्य से अनुरोध् है कि इससे संबंधित शिकायत पर्षद् के ई. मेल— grievance@bspcb.in अथवा व्हाट्सएप नम्बर— 7070379278 पर भेज सकते हैं।

सदस्य—सचिव।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना — 800 010

दूरभाष नं0- 0612-2261250/2262265, फैक्स— 0612-2261050

ई-मेल - msbspcb-bih@gov.in | वेबसाईट - http://bspcb.bihar.gov.in

(साभार : हिन्दुस्तान, 3.9.2024)

चैम्बर अध्यक्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक में शामिल हुए

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2024 को श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से., प्रबन्ध निदेशक, बियाडा की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में आयोजित हुई।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी सम्मिलित हुए।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
(उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय)
बिहार सरकार
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और आप

परिवाद कहाँ दायर किया जा सकता है

अधिनियम के अन्तर्गत निम्न स्थलों पर परिवाद दायर किया जा सकता है

जिला आयोग – यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य और मांगा गया हर्जाना 50 लाख रुपये तक है और जहाँ कार्रवाई पूरी अथवा आंशिक रूप से की गई अथवा जहाँ प्रतिपक्ष रहता है अथवा जहाँ व्यापार करता है या जहाँ उसका कोई शाखा कार्यालय है या उपभोक्ता जहाँ निवास करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रुप से कार्य करता है। सभी जिला मुख्यालयों में जिला आयोग क्रियाशील है।

राज्य आयोग – यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य और मांगा गया हर्जाना 50 लाख रुपये से अधिक तथा 2 करोड़ रुपये तक हो। राज्य आयोग, पटना में स्थित है।

राष्ट्रीय आयोग – यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य और मांगा गया हर्जाना 2 करोड़ रुपये से अधिक हो। राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली में कार्यरत है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एन. सी. एच.) के राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 एवं 1915 पर शिकायत दर्ज करने के संबंध में जानकारी / परामर्श / मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

– **कौन शिकायत दर्ज करा सकता है**
कोई उपभोक्ता
– **कोई भी पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन**
– केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनेक उपभोक्ता जिनका समान हित हो।

(साभार : हिन्दुस्तान, 20.9.2024)

70 साल से अधिक उम्र के लोगों को अब पाँच लाख रुपये का मुफ्त इलाज

आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा कैबिनेट ने दी मंजूरी जल्द शुरू होगा पंजीकरण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का फैसला किया गया है। इसके तहत अब 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को पाँच लाख रुपये सालाना तक मुफ्त व कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना से छह करोड़ बुजुर्गों को सीधा लाभ मिलेगा। इसकी पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

रेल, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएम-जेएवाई) के अंतर्गत किसी भी आयवर्ग के 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का कवरेज मिलेगा। जिन परिवारों को पहले से आयुष्मान के तहत कवर किया जा रहा है, उनमें भी 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग अलग से पाँच लाख सालाना का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। यानी ऐसे परिवारों में अब 10 लाख तक का कभर मिलेगा। यदि किसी परिवार में दो बुजुर्ग हैं, तो दोनों के बीच संयुक्त रूप से यह सुविधा होगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणापत्र में योजना का लाभ 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को देने का वादा किया था। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 12.9.2024)**

पीआरडीए से आवंटित प्रॉपर्टी अब किसी से नहीं बेच सकेंगे... नगर निगम ही खरीदेगा

पटना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीआरडीए) की प्रॉपर्टी जिसके पास है, अब वह उसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता है। अब इसे सबसे पहले पटना नगर निगम खरीदेगा। यदि किसी को अपनी संपत्ति बेचनी है तो सबसे पहले नगर निगम से खरीदने के लिए बात करनी होगी। निगम अब पीआरडीए की संपत्ति को बाजार भाव और सर्किल रेट पर खुद ही खरीदेगा। इस नए नियम को नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने पारित कर दिया है। अब जल्द की निगम बोर्ड की बैठक में इसपर अंतिम मुहर लग जाएगी। बताया गया है कि पटना नगर निगम अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए पीआरडीए की प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए नए नियम और शर्तों को लागू करने जा रहा है। शहर के कई इलाकों में बड़ी संख्या में पीआरडीए की संपत्ति लीज पर दी गई है। नए नियम के मुताबिक यदि किसी मालिक ने नगर निगम को बताए बिना ही अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, तो कुछ ही दिन बाद उसकी खरीद-बिक्री रद्द हो जाएगी। निगम प्रशासन पीआरडीए से संबंधित संपत्ति की खरीद-बिक्री की जानकारी रजिस्ट्री कार्यालयों में भी दे देगा, ताकि इसपर रोक लगाने में आसानी हो सके।

"पीआरडीए की प्रॉपर्टी को अब नगर निगम खुद ही खरीदेगा। अपने संसाधनों को बढ़ाने और राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने इस नए प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब बोर्ड की बैठक में इसपर अंतिम मुहर लगेगी।"

– **अनिमेष कुमार पराशर,** नगर आयुक्त, पटना नगर निगम

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 9.9.2024)

घर बैठे होगी ऑनलाइन रजिस्ट्री

बिहार में ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो गई है। कातिब और बिचौलिए से लोगों की परेशानी दूर होगी। रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट करने तक सबकुछ

पारदर्शी होगा और प्रोसेस भी आसान है। इसके लिए सरकार द्वारा वेबसाइट को सार्वजनिक कर दिया गया है। संपतचक निबंधन कार्यालय के राजिस्टार आशीष अग्रवाल ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह काफी आसान प्रोसेस है। वेबसाइट पर जाकर अपना प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद पूरी डिटेल्स भरनी होगी। प्रोसेस पूरा करने के बाद चालान सक्सेस हो जायेगा। उसके बाद रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालय आने का अपॉइंटमेंट तारीख और समय के साथ मिल जायेगा। उसे निर्धारित डेट पर आने के बाद अपना चालान, अपॉइंटमेंट स्लिप, दिखाना होगा। निबंधन कार्यालय में कागज चेक कर दिया जायेगा। उसकी एंट्री हो जायेगी। आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह सबकुछ पूरी करने के बाद एक घंटे के अंदर रजिस्ट्री का कागज हाथों हाथ मिल जायेगा।

रजिस्टार ने बताया कि चालाना में जो भी रुपए लगेगा वो ऑनलाइन शो कर देगा। विचौलिए इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं ले पाएंगे। अपॉइंटमेंट लेने के समय ही लोगों को उनकी लोक सूची दिख जाएगी। अगर खाता, खेसरा, जमीन लोक सूची में दर्ज होगी तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। जमीन किस वजह से रोक में है। किसने आपत्ति दर्ज कराई है या किसने रोक लगाई है उस जमीन पर, शो कर देगा। इससे जमीन की रजिस्ट्री भी बढ़ेगी और दबाव भी कम होगा। लोगों को बेवजह दफ्तर नहीं आना होगा।

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 11.9.2024)

नवरात्रा, दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ

महत्वपूर्ण सूचना

- संशोधन से संबंधित वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण गजट अधिसूचना संख्या एस. ओ. 445, 446, 447, एवं 448 दिनांक 04 सितम्बर 2024 तथा अधिसूचना संख्या- एस. ओ. 449 दिनांक 06 सितम्बर 2024 की प्रति माननीय सदस्यों को सूचनार्थ उनके इ-मेल एवं व्हाट्सऐप पर भेज दी गयी है।
- बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के आग्रह पर वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार द्वारा **'बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024 (The Bihar Settlement of Taxation Disputes Act 2024)'** का विस्तार 14 मार्च 2025 तक किया गया है।
  इस संबंध में वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या- एस.ओ.- 450 दिनांक 12 सितम्बर 2024 की प्रति माननीय सदस्यो के अवलोकनार्थ उनके इ-मेल एवं व्हाट्सऐप पर भेज दी गयी है।
- परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा पुराने वाहनों की Scraping को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु के Scrap किये जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंवित देनदारियों में एकमुश्त छूट प्रदान करने के लिए **जारी गजट अधिसूचना संख्या - 6061 दिनांक 28 जुलाई 2023 का विस्तार 31 मार्च 2026 तक के** लिए किया गया है।
  इस संबंध में परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या - 06 / मंतव्य - 9-7/2021-12105 दिनांक 12 सितम्बर 2024 की प्रति माननीय सदस्यों को उनके इमेल एवं ह्वाट्सऐप पर भेज दी गयी है।
- बिहार को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए **'बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024'** की घोषणा की गयी है।
  उक्त संबंध में पर्यटन निदेशालय द्वारा जारी संकल्प सं. TDRT / 50010/02-2024-4095 दिनांक 13 सितम्बर 2024 की प्रति माननीय सदस्यों के सूचनार्थ उनके इमेल एवं ह्वाट्सऐप पर मेज दी गयी है।
  यदि उपर्युक्त सूचनाओं की प्रति आपको प्राप्त नहीं हुई हो तो चैम्बर कार्यालय से सम्पर्क करें।

69 अनूसूचित नियोजनों की 01.10.2024 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक 1.9.2022 को निर्धारित आधार दर	दिनांक 1.4.2024 से प्रभावी दर	V. D. A. में बढ़ोत्तरी (रु.) @0.42% की दर से	दिनांक 1.4.2024 के आधार दर पर दिनांक 1.10.2024 से लागू दर
1	2	3	4	5	6
1.	अकुशल	366.00	410.00 प्रतिदिन	2.00	412.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	380.00	426.00 प्रतिदिन	2.00	428.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00	519.00 प्रतिदिन	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00	634.00 प्रतिदिन	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	10478.00	11736.00 प्रतिमाह	44.00	11780.00 प्रतिमाह

(स्रोत - श्रम संसाधन विभाग, बिहार)

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296